-1-19

वकील [illegible]
प्रार्थना पत्र- O-7-R-11 CPC का जवाब पेश किया
गया अतिरिक्त पत्रावली किया गया। बहस प्रार्थना
पत्र सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना
पत्र दिनांक 15-1-19 को पेश हो।

5.01.2019

वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर गत पेशी पर बहस सुनी गई प्रतिवादी संख्या 2 मोहनलाल द्वारा दिनांक 03.12.2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादी द्वारा उक्त वाद प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 के पिता स्व. श्री सत्यनारायण द्वारा वादी के पक्ष में जारी तथाकथित ईकरारनामा सौदा बैय दिनांक 14.06.2008 की पालना हेतु प्रस्तुत किया गया है । वादी द्वारा वाद में तथाकथित ईकरारनामा 14.06.2008 को निष्पादित होना अभिकथित किया है एवं वादी द्वारा अपना वाद दिनांक 13.09.2018 को प्रस्तुत किया गया है। अर्थात् वादी द्वारा वाद 10 वर्ष उपरान्त पेश किया है, जिससे स्पष्ट है कि वादी का वाद मियाद बाहर है एवं वाद मियाद बाहर होने के कारण प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाया जावे ।।

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब प्रार्थना पत्र दिनांक 11.01.2019 को प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वादी के हक में सत्यनारायण मृतक द्वारा इकरारनामा दिनांक 14.06.2008 को किया हुआ था, अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा भी सहमति दी हुई थी जिसके आधार पर धारा 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वादी द्वारा खरीदशुदा आराजी को प्रतिवादीगण किसी प्रकार से बैचान, मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसकी चरण संख्या 1 जिस तरह से वर्णित की गई है स्वीकार नही है। वाद में अभी यह निर्णित किया जाना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य है या नही और अप्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है। वाद बाहर मियाद है या नही यह वाद में जवाब दावा आने व साक्ष्य के बाद तय किया जाना है। इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टाया चलने योग्य नहीं है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन कि अप्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दीं. खारिज फरमाया जावे।

.....लगातार

प्रकरण सं0 156/2018 अनवान लखवीर सिंह बनाम दौलतराम

Continuation Note Sheet

लगातार .....

प्रार्थना पत्र पर गत पेशी को उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें अपनें प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराया गया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वादी द्वारा इकरारनामे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है चुँकि इकरारनामे के आधर पर किसी भी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते है। इकरारनामें के सम्बंध में वाद पत्र सुनने का अधिकारी राजस्व न्यायालय को न होकर सीविल न्यायालय का होनें के कारण वाद वादी पोषणीय नहीं पाया जाता है।

अतः प्रतिवादीगण संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पोषणीय पाये जानें के कारण स्वीकार किया जाकर वाद वादी वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिंनाक 15.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर